



## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION  
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, - 14 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066  
Bhavisya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Palace, New Delhi -110066  
[www.epfindia.gov.in](http://www.epfindia.gov.in), [www.epfindia.nic.in](http://www.epfindia.nic.in)

संख्या निवेश-1/3(2)133 ब्याज दर/2018-2019/

दिनांक '27 SEP 2019

सेवा में,

सभी प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,  
क्षेत्रीय कार्यालय ।

**विषय: कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के खातों के लिए वर्ष 2018-2019 के लिए ब्याज दर की घोषणा के संदर्भ में ।**

महोदय,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 (1) के तहत क.भ.नि. योजना 1952 के पैरा 60 के अंतर्गत उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 8.65% की दर से ब्याज देने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन की सूचना दी है।

तदनुसार आपसे से अनुरोध है कि उक्त ब्याज को सदस्यों के खाते में जमा करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक निदेश जारी करें।

(प्राधिकार पत्र :- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या आर-11018/1/2017/ एस.एस-11 दिनांक 24 सितंबर, 2019)

भवदीय,

**विशाल अग्रवाल**

(विशाल अग्रवाल)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (निवेश)

**प्रतिलिपि :-**

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सहायक।
2. केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सभी सदस्य ।
3. निदेशक, पीडीनास, नई दिल्ली ।
4. सभी आंचलिक उप-निदेशक (सतर्कता) / सभी आंचलिक लेखा परीक्षा अधिकारी ।
5. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)/(आई.एस.) - को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)/(छूट)- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. प्रभारी अधिकारी, आं.प्र.सं., कोलकाता, उज्जैन, फरीदाबाद एवं चेन्नै तथा उप आं.प्र.सं., शिलांग।
8. मुख्यालय के सभी अधिकारी व अनुभाग ।
9. सभी आंचलिक अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।
10. नियोक्ताओं के केन्द्रीय संगठन - सी.सी.आई., सी.आई.आई. एसोचैम, फिक्की व पी.एच.डी. ।
11. कर्मचारियों के केन्द्रीय संगठन - सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन ।
12. निदेशक (एस.एस.-11) - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली ।
13. निदेशक (बजट) - वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग, बजट प्रभाग, नई दिल्ली ।
14. क्षे.भ.नि.आ.-1 (प्रभारी), राष्ट्रीय डाटा केन्द्र- इस आदेश को क.भ.नि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करें ।

**विशाल अग्रवाल**

(विशाल अग्रवाल)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (निवेश)